

उत्तर रेलवे

सार्वजनिक सूचना

श्री निकुंज शर्मा, पुत्र श्री अशोक शर्मा, पूछताछ एवं आरक्षण लिपिक/ग्रेटर नोएडा 06.04.2019 से अब तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उसे बड़ी शास्ति का आरोप पत्र दिनांक 11.01.2021 को जारी किया गया था, जो आपके द्वारा प्राप्त ना किये जाने पर आपके निवास स्थान पर चिपकाई गई, परन्तु श्री निकुंज शर्मा ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए श्री निकुंज शर्मा पुत्र श्री अशोक शर्मा को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वह इस अनुशासन एवं अपील नियम कार्यवाही के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन देना चाहता है, तो 15 दिन के अंदर दे दे। यदि इसके लिए उसे किसी प्रलेख की आवश्यकता है तो वह मुख्य कार्यालय अधीक्षक (वाणिज्य शाखा), मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, नई दिल्ली से संपर्क करें। यदि 15 दिनों के अंदर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो, अनुशासिक अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड तथा साक्ष्यों के आधार पर एक तरफ़ा फैसला ले लिया जाएगा।

1789/2021

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ